रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 1987/कार्तिक 12, 1909
No. 553] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 1987/KARTIKA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-सूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 970(अ) :—केन्द्र सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सम्मति रखते हुए, कि भारतीय फोरवर्ड नाविक संघ, कलकत्ता नाम से अभिहित नाविकों और भारतीय राष्ट्रीय जहाज-मालिक संघ बंबई नाम से अभिहित जहाज मालिकों, (जिनके जहाजों पर ऐसे नाविक कार्यरत हैं) के बीच एक विवाद बना हुआ है और यह विवाद उन नाविकों के रोजगार का आकस्मिकता से जुड़े मामलों से संबंधित है, उक्त विवाद के निपटारे के लिये एक ट्रिब्युनल का गठन करती है, जिसका मुख्यालय बंबई में होगा और श्री एस.

के. राय, भूतपूर्व संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, भारत सरकार को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिये उक्त ट्रिब्यूनल हेतु नियुक्त करता है ।

[सं.सी.-18018/3/87-एम.टी.]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 3rd November, 1987

NOTIFICATION

S.O. 970(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government, being of the opinion that a dispute between the union of seamen known as the Forward Seamen's Union of India, Calcutta and the union of owners of ships (being ships in which such seamen are employed) known as Indian National Shipowners Association, Bombay exists and such dispute relates to a matter connected with and incidental to the employment of those seamen, hereby constitutes a tribunal, with headquarters at Bombay, for adjudication of the said dispute and appoints Shri S. K. Rai, formerly Joint Secretary and Legal Adviser to the Government of India, to that tribunal for one year with effect from the date of issue of this notification.

[No. C-18018|3|87-MT]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987